



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

20 बैशाख, 1945 (श०)

संख्या - 267 राँची, बुधवार,

10 मई, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

27 मार्च, 2023

संख्या-7/प्रोन्नति-202/2011 का. 1780-झारखण्ड सचिवालय सेवा के निम्नलिखित सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों (वेतनमान PB-II, रु. 9300-34800/-, ग्रेड पे. रु. 4600/- पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-7) को, दिनांक-16.03.2023 को सम्पन्न विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा के आलोक में, प्रशाखा पदाधिकारी कोटि (PB-II, वेतनमान रु. 9300-34800/-, ग्रेड पे. रु. 4800/- पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-8) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है तथा उनके द्वारा धारित पद को प्रशाखा पदाधिकारी कोटि में उत्क्रमित करते हुए उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है :-

क्र.सं.	वरी.क्र.	सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का नाम एवं विभाग का नाम
1	2	3
1	725	श्री राजेश कुमार गुप्ता, आयुक्त कार्यालय, चाईबासा
2	906	श्री राजेश कुमार, मंत्रिमण्डल (निर्वाचन) विभाग
3	75	श्री बैजनाथ राम, नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)
4	78	श्री संजय कुमार श्रीवास्तव, वित्त विभाग
5	134	श्री सौरभ सिंह, ग्रामीण कार्य विभाग
6	416	श्री विवेक एम सी भूईयाँ, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
7	497	श्री संतोष कुमार ठाकुर, वित्त विभाग
8	551	श्री पवन कुमार, वित्त विभाग
9	620	श्री पार्थ भंडारी, पथ निर्माण विभाग
10	621	सुश्री मेरी मिताली मुरमू, जल संसाधन विभाग
11	622	श्री खेला राम माहली, जल संसाधन विभाग
12	623	श्री चंदन सिंह, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)
13	624	श्री अमित कच्छप, वित्त विभाग
14	625	सुश्री अनुग्रह आसित बाव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

- (i) झारखण्ड सचिवालय सेवा के तहत सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों की अत्याधिक कमी एवं नियुक्ति प्रक्रिया में विलम्ब को दृष्टिपथ में रखते हुए उपर्युक्त सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों को इस शर्त के साथ प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति दी जाती है कि उक्त प्रोन्नति के बाद नव प्रोन्नति प्रशाखा पदाधिकारी यथा स्थान अगले आदेश तक कार्यहित में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का कार्य भी करेंगे। इस आशय का undertaking नव प्रोन्नत प्रशाखा पदाधिकारियों से प्राप्त कर लिया जाएगा।
 - (ii) नव प्रोन्नत प्रशाखा पदाधिकारी उपर वर्णित आशय के undertaking के साथ अपने विभाग/कार्यालय में योगदान करेंगे।
 - (iii) झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-58 तथा झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम-74 के प्रावधानों के आलोक में उपर्युक्त पदाधिकारियों को प्रोन्नति का वास्तविक वित्तीय लाभ प्रोन्नत पद पर योदागन/प्रभार ग्रहण करने की तिथि से देय होगा।
2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनल प्रतीक मिंज,
सरकार के उप सचिव।
